म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत कंपनी)

द्वारा विज्ञापित

प्रबंधक / उपप्रबंधक / कंपनी सेक्रेटरी / सहायक लेखाधिकारी / लेखापाल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

(2017-2018)

MPPHSCL

1. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियो से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

2. पदों का विवरण :–

क्र	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	संविदा वेतन प्रतिमाह	नियुक्ति का स्वरूप
1	प्रबंधक (उपार्जन)	01	15600–39100+6600 ग्रेडपे	61,110/–	प्रतिनियुक्ति/संविदा
2	प्रबंधक, (आपूर्ति प्रबंधन)	01	15600–39100+6600 ग्रेडपे	61,110/–	प्रतिनियुक्ति/संविदा
3	प्रबंधक, (लॉजिस्टिक)	01	निरंक	50,000/–	संविदा
4	उप प्रबंधक फार्मा	01	15600–39100+5400 ग्रेडपे	46,300/-	प्रतिनियुक्ति/संविदा
5	कंपनी सेकेट्री	01	निरंक	*न्यूनतम रू. 35,000/– प्रतिमाह	संविदा
6	सहायक लेखा अधिकारी	01	9300–34800+3600 ग्रेडपे	46,170/–	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7	लेखापाल	01	5200–20200+2400 ग्रेडपे	22,680/–	प्रतिनियुक्ति/संविदा

(* अनुभव के आधार पर न्यूनतम संविदा वेतन में वृद्धि की जा सकती है।)

3. रिक्त पदों हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगा :–

पदनाम	पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	कुल
प्रबंधक (उपार्जन)	1	1	0	0	0	1
प्रबंधक, (आपूर्ति प्रबंधन)	1	1	0	0	0	1
प्रबंधक, (लॉजिस्टिक)	1	1	0	0	0	1
उप प्रबंधक फार्मा	1	0	1	0	0	1
कंपनी सेकेट्री	1	1	0	0	0	1
सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	1
लेखापाल	1	1	0	0	0	1

4. शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव :–
उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव Annexure'A' अनुसार निर्धारित है।

5. चयन प्रक्रिया :–
5.1 उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन 22.05.2017 तक प्राप्त किए जाएगे।

5.2 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजो को स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(i) हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची।

(ii) उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।

(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि।

(iv) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र।

(v) कार्यानुभव हेतु प्रमाण–पत्र / नियुक्ति पत्र / अंतिम 6 माहों की वेतन पर्चियां।

उपरोक्त अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी अन्य अभिलेख जैसे– DCA/PGDCA या अन्य कम्प्यूटर कोर्स / डिग्री / अनुभव आदि को भी आवेदन के साथ अपलोड कर सकता है।

5.3 एम.पी.ऑनलाईन द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

5.4 कंडिका 5.2 अनुसार अपलोड किये गये स्कैन अभिलेखो के परीक्षण (स्क्रीनिंग) उपरांत लिखित परीक्षा / साक्षात्कार की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची MP Online तथा MPPHSCL की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5.5 प्रबंधक / उपप्रबंधक के पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता / अनुभव एवं अन्य अर्हताए पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसकी तिथि / समय / परीक्षा केन्द्र / सिलेबस / परीक्षा प्रणाली की विस्तृत जानकारी एम.पी.ऑनलाईन तथा म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी। लिखित परीक्षा उपरांत उक्त पदों हेतु मूल्यांकन Annexure'B' से Annexure'E' मे दर्शाई गई योजना अनुसार किया जाएगा।

5.6 कंपनी सेक्रेटरी / सहायक लेखाधिकारी / लेखापाल पदों हेतु स्क्रीनिंग में पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन Annexure'F' से Annexure'H' में दर्शाई गई योजना अनुसार किया जाएगा।

5.7 वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के बाद 2 अंको तक को विवेचना में लिया जावेगा।

5.8 वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगा :–

क– अधिक अनुभवी अभ्यार्थियों को कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता।

ख– अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों को कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता

ग– कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

5.9 वरीयता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को ई–मेल व मोबाईल द्वारा सूचित किया जावेगा। अतः आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करें। गलत जानकारी के कारण आवेदकों को सूचना न मिलने हेतु म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPPHSCL) / एम.पी.ऑनलाइन (MP Online) जिम्मेदार नहीं होगा।

5.10 प्रबंधक / उपप्रबंधक पदों हेतु लिखित परीक्षा और शैक्षणिक / अनुभव अर्हता आधार पर Annexure'B' से Annexure'E' अनुसार मूल्यांकन उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (प्रत्येंक पद हेतु अधिकतम 10 अभ्यर्थी) तैयार कर MP Online तथा MPPHSCL की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी। वरीयता सूची अनुसार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (महत्तम 20 अंक) MPPHSCL की "चयन समिति" द्वारा किया जावेगा। साक्षात्कार उपरांत Annexure'A' से Annexure'E' के अनुसार अंतिम प्राप्तांको के आधार पर "चयन समिति" द्वारा प्रबंध संचालक को चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा की जावेगी।

5.11 कंपनी सेक्रेटरी/सहायक लेखाधिकारी/लेखापाल पदों हेतु कंडिका 5.6 अनुसार मूल्यांकन उपरांत वरीयता सूची (प्रत्येंक पद हेतु अधिकतम 15 अभ्यर्थी) तैयार कर MP Online तथा MPPHSCL की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी। वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का MPPHSCL की चयन समिति द्वारा निम्नानुसार प्रायोगिक टेस्ट (कम्प्यूटर पर) एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।

(i) प्रायोगिक टेस्ट (कम्प्यूटर पर) (महत्तम 20 अंक)– अभ्यर्थी को आंकडे (Data) उपलब्ध कराते हुए "टेली (Tally)" साफ्टवेयर पर अंतिम लेखे तैयार करवाने का कार्य (Task) प्रदान किया जाएगा।

(ii) साक्षात्कार (महत्तम 20 अंक)– अभ्यर्थियों के कंडिका 5.6 तथा उक्त प्रायोगिक टेस्ट अनुसार मूल्यांकन के आधार पर साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जावेगी। उक्त सूची अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार MPPHSCL की "चयन समिति" द्वारा लिया जावेगा। साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा प्रबंध संचालक को चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा की जावेगी।

5.12 चयन समिति द्वारा कंडिका 5.10 एवं 5.11 अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी को नियुक्त करने का निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। रिक्त पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा संबंधित पद/पदों की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

5.13 प्रत्येंक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को छोड़कर वरीयता क्रम में उसके बाद पॉच अभ्यर्थियों को शामिल कर एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में इस प्रतीक्षा सूची से, वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को संबंधित पद पर नियुक्त किया जावेगा। उक्त प्रतीक्षा सूची 01 (एक) वर्ष हेतु मान्य होगी।

5.14 चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय के अधिकार प्रबंध संचालक, MPPHSCL को हैं तथा चयन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर स्थगित/निरस्त करने के संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को है जो कि सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि.भोपाल	मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि.भोपाल	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त/प्रशा.) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि.भोपाल

Managing Director
Madhya Pradesh Public Health
Services Corporation Ltd., Bhopal